कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक **E 766529/I/1248605/2026** दिनांक 18-08-2026

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य, समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय- ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के अंतर्गत प्रवेश निरस्तीकरण, विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन, महाविद्यालय स्थानांतरण एवं त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रवेश मार्गदर्शी सिंद्धांत 2026-27 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापसी, विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन, प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन दिनांक 18 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधि में **किसी भी प्रकार के नवीन प्रवेश मान्य नहीं होंगे**। उक्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का होगा। अतः सभी संबंधित अधिकारी/प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करते हुए कार्यवाही करने का अनुरोध है ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

Digitally signed by
Tulsi Ram Dahayat
Date: 18-08-2026
16:30:29

प्रतिलिपि -

1-निज सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग
2-निज सहायक, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल
3- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
4- प्रवेश एजेंसी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5-विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।